

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

नोट : मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे

## मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत

### आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक .....
2. आवेदिका का नाम .....
3. वैयक्तिक पहचान-पत्र (आधार नंबर) .....
4. पिता/पति का नाम .....
5. आवेदिका की आयु .....
6. पत्र व्यवहार का पता .....
7. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से वचन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में लेडिस सायकल वापस करने का वचन देती हूँ।

आवेदिका के हस्ताक्षर

### आदेश

जांचोपरान्त उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में योजना का नाम .....के अंतर्गत निम्नानुसार लेडिस सायकल दिनांक .....द्वारा कु0/श्रीमति .....को वितरित किया गया।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान :

दिनांक :

### पावती

लेडिस सायकल दिनांक ..... प्राप्त किए गए।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता

### स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. हिताधिकारी श्रमिक स्वयं आवेदक/आवेदिका होने पर परिचय-पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करें।
2. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायें। मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए।